संख्या– 1276/पांच-9-2015

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2015**

विषय– जिला स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि शासन द्वारा प्रदेश की आम जनता के स्वास्थ्य स्तर में उन्नति हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिला स्तरीय चिकित्सालय जनपद स्तर पर आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु शीर्ष स्तर की इकाई है। अतः उक्त चिकित्सालयों का उपकरणों एवं मानव संसाधन से पूर्ण रूप से सुसज्जित होना आवश्यक है ताकि आम जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्णयानुसार उक्त चिकित्सालयों के सुदृढीकरण की आवश्यकता है। अतः आपसे निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है–

- उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 80/पांच–9–14–9(56)/13 दिनांक 15/01/2014 के निर्देशों के क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिमाह किये जाने का प्रावधान है। जिला स्वास्थ्य समिति की प्रतिमाह बैठक करना सुनिश्चित करते हुये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं की वृहद समीक्षा करते हुये सुधारात्मक कार्यवाही करें। यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त धनराशि को अविलम्ब जनपद की स्वास्थ्य इकाईयों को हस्तांतरित किया जाये एवं यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी दशा में धनराशि अनावश्यक रूप से जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर न रोकी जाये। चिकित्सालयों में रिक्त संविदा मानव संसाधन के पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की प्रकिया कराना सुनिश्चित करे।

- जिला स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन स्तर से विभिन्न योजानायें संचालित की जा रही है, जिनका आपके स्तर से अनुश्रवण किया जाना नितांत आवश्यक है ताकि उक्त चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा सकें। अतः आगामी 15 दिवसों में जिला चिकित्सालयों का प्रथम निरीक्षण स्वयं करना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय चिकित्सालयों के निरीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। तत्पश्चात् प्रत्येक माह जिला स्तरीय चिकित्सालयों का निरीक्षण स्वयं करना सुनिश्चित करें।

- जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु क्लीनिंग–गार्डिनिंग, लान्ड्री, अनटाइड फंड आदि हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है, जिसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है अतः आप अपने स्तर से उक्त की समीक्षा करने के साथ ही साथ जे0एस0वाई0 भुगतान एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सुविधाओं को सुसंगत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों की रोगी कल्याण समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अनटाइड फंड उपलब्ध कराया जाता है। उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या

81/पांच–9–14–9(56)/13 दिनांक 15/01/2014 के निर्देश के क्रम में जिला स्तरीय चिकित्सालयों की रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुनिश्चित की जानी चाहिए। रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनटाइड फण्ड का उपभोग विभिन्न प्रकार के मरम्मत कार्य, सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई, चहार दीवारी/फेन्सिंग कार्य तथा जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत, साफ–सफाई), जल आपूर्ति लाइनों की स्थापना, प्रतिस्थापना, मरम्मत कार्य, रंगाई–पुताई तथा बिजली से सम्बन्धित कार्य, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट (कूड़ेदान, गढड़े, निस्संक्रामक) की व्यवस्था, बिजली एवं जल हेतु बिल का भुगतान एवं अस्पताल के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण तथा अस्पतालों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत एवं सुदृढ़ता, साधारण उपकरणों यथा मरीज देखने की मेज, प्रसव टेबल, रक्तचाप नापने का उपकरण, हीमोग्लोबिन मीटर, कॉपर–टी लगाने की किट, वजन मशीनें, मैकनटॉश शीट आदि की खरीद अथवा मरम्मत हेतु किया जा सकता है।

अतः आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा के अनुसार जिला स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रतिमाह जिला स्वास्थ्य समिति एवं रोगी कल्याण समिति की बैठकें कराना सुनिश्चित करेंगें तथा प्रत्येक माह जिला स्तरीय चिकित्सालयों का निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार की मंशा को पूर्ण किया जा सके।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– तददिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0(श्री शंख लाल मांझी) को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0(श्री नितिन अग्रवाल) को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
8. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1276/पांच–9–2015

प्रेषक,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 2015**

विषय– जिला स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आप अवगत हैं कि शासन द्वारा प्रदेश की आम जनता के स्वास्थ्य स्तर में उन्नति हेतु विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जिला स्तरीय चिकित्सालय जनपद स्तर पर आम जनता को स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु शीर्ष स्तर की इकाई है। अतः उक्त चिकित्सालयों का उपकरणों एवं मानव संसाधन से पूर्ण रूप से सुसज्जित होना आवश्यक है ताकि आम जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराई जा सकें। माननीय मुख्य मंत्री महोदय के निर्णयानुसार उक्त चिकित्सालयों के सुदृढीकरण की आवश्यकता है। अतः आपसे निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित है–

- उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 80/पांच–9–14–9(56)/13 दिनांक 15/01/2014 के निर्देशों के क्रम में जिला स्वास्थ्य समिति की शासी निकाय की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रतिमाह किये जाने का प्रावधान है। जिला स्वास्थ्य समिति की प्रतिमाह बैठक करना सुनिश्चित करते हुये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की समस्त योजनाओं की वृहद समीक्षा करते हुये सुधारात्मक कार्यवाही करें। यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति को अवमुक्त धनराशि को अविलम्ब जनपद की स्वास्थ्य इकाईयों को हस्तांतरित किया जाये एवं यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी भी दशा में धनराशि अनावश्यक रूप से जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर न रोकी जाये। चिकित्सालयों में रिक्त संविदा मानव संसाधन के पदों पर प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति की प्रकिया कराना सुनिश्चित करे।

- जिला स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु शासन स्तर से विभिन्न योजानायें संचालित की जा रही है, जिनका आपके स्तर से अनुश्रवण किया जाना नितांत आवश्यक है ताकि उक्त चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा सकें। अतः आगामी 15 दिवसों में जिला चिकित्सालयों का प्रथम निरीक्षण स्वयं करना सुनिश्चित करें। जिला स्तरीय चिकित्सालयों के निरीक्षण हेतु मुख्य बिन्दु आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे हैं। तत्पश्चात् प्रत्येक माह जिला स्तरीय चिकित्सालयों का निरीक्षण स्वयं करना सुनिश्चित करें।

- जिला स्तरीय चिकित्सालयों हेतु क्लीनिंग–गार्डिनिंग, लान्ड्री, अनटाइड फंड आदि हेतु धनराशि अवमुक्त की जाती है, जिसका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है अतः आप अपने स्तर से उक्त की समीक्षा करने के साथ ही साथ जे0एस0वाई0 भुगतान एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सुविधाओं को सुसंगत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

- प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों की रोगी कल्याण समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा अनटाइड फंड उपलब्ध कराया जाता है। उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या

81/पांच–9–14–9(56)/13 दिनांक 15/01/2014 के निर्देश के क्रम में जिला स्तरीय चिकित्सालयों की रोगी कल्याण समिति की शासी निकाय की त्रैमासिक बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सुनिश्चित की जानी चाहिए। रोगी कल्याण समिति में उपलब्ध धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनटाइड फण्ड का उपभोग विभिन्न प्रकार के मरम्मत कार्य, सैप्टिक टैंक/शौचालय का निर्माण, मरम्मत एवं साफ–सफाई, चहार दीवारी/फेन्सिंग कार्य तथा जल भंडारण टैंक (क्रय, स्थापना, निर्माण, मरम्मत, साफ–सफाई), जल आपूर्ति लाइनों की स्थापना, प्रतिस्थापना, मरम्मत कार्य, रंगाई–पुताई तथा बिजली से सम्बन्धित कार्य, बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट (कूड़ेदान, गढड़े, निस्संक्रामक) की व्यवस्था, बिजली एवं जल हेतु बिल का भुगतान एवं अस्पताल के प्रांगण का सौन्दर्यीकरण तथा अस्पतालों तक जाने वाले रास्तों की मरम्मत एवं सुदृढ़ता, साधारण उपकरणों यथा मरीज देखने की मेज, प्रसव टेबल, रक्तचाप नापने का उपकरण, हीमोग्लोबिन मीटर, कॉपर–टी लगाने की किट, वजन मशीनें, मैकनटॉश शीट आदि की खरीद अथवा मरम्मत हेतु किया जा सकता है।

अतः आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय की मंशा के अनुसार जिला स्तरीय चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रतिमाह जिला स्वास्थ्य समिति एवं रोगी कल्याण समिति की बैठकें कराना सुनिश्चित करेंगें तथा प्रत्येक माह जिला स्तरीय चिकित्सालयों का निरीक्षण कर सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध प्रदेश सरकार की मंशा को पूर्ण किया जा सके।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1276/पांच-9-2015-**तददिनांक।**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0(श्री शंख लाल मांझी) को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0(श्री नितिन अग्रवाल) को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
6. परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, लखनऊ।
7. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0।
8. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला पुरूष/महिला एवं संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

9.2.15

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

जिलाधिकारी द्वारा जिला चिकित्सालयों, महिला चिकित्सालयों, जिला संयुक्त चिकित्सालयों के निरीक्षण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दुः–

1. चिकित्सालय भवन के सामान्य रख–रखाव, रंगाई–पुताई, सफाई एवं शौचालयों की स्थिति। भवन के रख–रखाव मद में शासन स्तर से उपलब्ध धन के उपयोग की स्थिति।

2. सभी चिकित्सालयों को गार्डेनिंग, क्लीनिंग एवं लान्ड्री के मद में शासन/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्तर से धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। उक्त धनराशि के सदुपयोग की स्थिति।

3. प्रदेश के 40 अस्पतालों मे क्लीनिंग एवं गार्डेनिंग सेवाओं को यू0पी0एच0एस0एस0पी0 के माध्यम से आऊटसोर्स किया गया है। इन चिकित्सालयों में अनुबंध के अनुसार सफाई व्यवस्था की समीक्षा कर ली जाय।

4. आपरेशन थियेटर तथा लेबर रूम में साफ–सफाई एवं डिसइंफेक्शन, उपकरणों की उपलब्धता आदि की स्थिति।

5. ओ0पी0डी0 तथा दवा–वितरण स्थलों पर मरीजों को बैठने की समुचित व्यवस्था है अथवा नहीं ।

6. 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिये क्या व्यवस्था उपलब्ध है ? स्वतंत्र फीडर स्थापित है अथवा निर्माणाधीन है अथवा अभी स्वीकृत नहीं हुआ। जेनेरेटर क्रियाशील है अथवा नहीं तथा डीजल के लिये समुचित बजट उपलब्ध है अथवा नहीं।

7. चिकित्सालय परिसर में स्वच्छ जलापूर्ति की उपलब्ध व्यवस्था, पानी की टंकी की सफाई इत्यादि की स्थिति।

8. चिकित्सालय में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेण्ट के लिये की गयी व्यवस्था तथा एन0एच0एम0 द्वारा निर्गत धनराशि की उपभोग की स्थिति।

9. चिकित्सालयों में मानव संसाधन की उपलब्धता की स्थिति तथा क्या कोई क्रिटिकल गैप है, जिसके कारण अस्पताल में उपलब्ध किसी विशिष्ट सुविधा का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

10. विभिन्न जिला चिकित्सालयों के लिये एन0एच0एम0 के अन्तर्गत संविदा पर चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्सेज एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्ध मानव संसाधन की समीक्षा कर ली जाय। शासन द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी के दृष्टिगत सेवानिवृत्ति के उपरान्त कतिपय चिकित्सकों को पुनर्योजित किया गया है, इन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की भी समीक्षा कर ली जाय।

11. ओ0पी0डी0 एवं आई0पी0डी0, प्रतिशत बेड आक्यूपेंसी की स्थिति की समीक्षा।

12. चिकित्सालयों में दवाओं की उपलब्धता की स्थिति। दवा के स्टाक एवं क्रय को सभी जिला चिकित्सालयों में आन लाइन किया जा चुका है। 292 दवाओं की आर0सी0 भी की जा चुकी है तथा रेट कान्ट्रैक्ट प्रदेश स्तर पर जारी किया जा चुका है। इसकी समीक्षा कर यह देख लिया जाय कि दवायें उपलब्ध हैं अथवा नहीं। आपूर्तिकर्ता को

आपूर्ति आदेश समय रहते दिये जा रहे हैं अथवा नहीं, आपूर्तिकर्ता द्वारा समय से आपूर्ति की जा रही है अथवा नहीं, आपूर्तिकर्ता को समय से भुगतान किया जा रहा है अथवा नहीं तथा जो दवायें आर0सी0 में नहीं हैं उन्हें स्थानीय स्तर पर क्रय कर उपलब्ध किया जा रहा है अथवा नहीं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है अथवा नहीं कि मरीजों को बाहर से दवा न खरीदने पड़े।

13. चिकित्सालयों में एण्टी रैबीज वैक्सीन तथा एण्टी स्नेक वेनम उपलब्ध है अथवा नहीं।

14. एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, पैथालाजिकल लैब से सम्बन्धित उपकरणों की क्रियाशीलता एवं की जा रही जांचों की स्थिति एवं इनके संचालन के लिये समुचित बजट, एक्सरे फिल्म आदि चिकित्सालय स्तर पर उपलब्ध है अथवा नहीं। डेंगू, जे0ई0/ए0ई0एस0 एवं अन्य संक्रामक रोगों की जांच हेतु उपलब्ध व्यवस्था।

15. गम्भीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं हेतु सिक न्यू बार्न केयर यूनिट यदि स्वीकृत है तो उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

16. यदि पोषण पुनर्वास केन्द्र स्वीकृत है तो उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

17. यदि अर्श क्लीनिक स्वीकृत है तो उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

18. ब्लड बैंक, ब्लड स्टोरेज यूनिट में मानव संसाधन एवं उपकरणों की उपलब्धता तथा उसकी क्रियाशीलता की स्थिति।

19. कतिपय जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित जनपदों में पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 क्रियाशील है एवं कुछ जनपदों में नये आई0सी0यू0 स्वीकृत किये गये हैं, इनके उपयोग की स्थिति।

20. जननी सुरक्षा योजना तथा जननी शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमन्य लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं।

21. 102 एवं 108 सेवाओं की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की स्थिति। चिकित्सालयों में स्वयं की एम्बुलेंस की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की स्थिति।

22. अस्पताल में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत तथा अन्य मरीजों को भोजन उपलब्ध कराने के लिये की गयी व्यवस्था एवं धनराशि के उपभोग की स्थिति।

23. शिकायतों के निस्तारण के लिये की गयी व्यवस्था की स्थिति। चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के व्यवहार, उपचार, धनउगाही को लेकर कोई विशिष्ट शिकायत तो नहीं है।

24. चिकित्सालयों को विभिन्न मदों में उपलब्ध कराये गये बजट के सापेक्ष उपभोग की स्थिति।

25. कतिपय जनपदों में रोगी आश्रय स्थल चिकित्सालय परिसर में स्वीकृत किये गये हैं। उनके क्रियाशीलता एवं निर्माण की भी समीक्षा कर ली जाय।

26. प्रदेश के 48 चिकित्सालयों में मरीजों की सुविधा के लिये रोगी सहायता केन्द्र हाल ही में क्रियाशील किये गये हैं इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की भी समीक्षा कर ली जाय।

27. जिला चिकित्सालयों में उच्चीकरण के कार्य एवं 30, 50, 100 शैय्या चिकित्सालय/एम0सी0एच0 विंग/ट्रामा सेन्टर/चीरघर के निर्माण की स्थिति की समीक्षा।

28. कतिपय चिकित्सालयों में मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर से सुविधाओं के विस्तार, सृजन आदि के लिये घोषणायें की गयी हैं, उनके कियान्वयन की स्थिति की समीक्षा।

29. नवसृजित जनपदों में जिला चिकित्सालय के निर्माण/अवस्थापना की प्रगति।

30. कतिपय जनपदों में एन0पी0सी0डी0सी0एस योजना के अन्तर्गत डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं कैंसर के मरीजों के लिये एन0सी0डी0 सेल की स्थापना की गयी है, इनके क्रियाशीलता की समीक्षा कर ली जाय।

31. रोगी कल्याण समिति की नियमित बैठकें हो रही है अथवा नहीं। रोगी कल्याण समिति के विभिन्न खातों में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष उपभोग की स्थिति।

32. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकें प्रत्येक माह किये जाने के निर्देश हैं, यह बैठकें हो रही हैं अथवा नहीं, की समीक्षा।